राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1574/2025

अरविन्द कुमार बैरागी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बून्दी।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बून्दी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.02.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रवीण शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत गणेशपुरा एवं लांबाखोह, पंचायत समिति बून्दी, बून्दी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति नैनवां, बून्दी में किया गया है, जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289(ii) का उल्लंघन करते हुए जिला संस्थापन समिति की सिफारिश पर नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को ग्राम पंचायत गणेशपुरा एवं लांबाखोह, पंचायत समिति बून्दी, बून्दी में कार्य करने दिया जावे तथा अपीलार्थी का वेतन ग्राम पंचायत गणेशपुरा एवं लांबाखोह, पंचायत समिति बून्दी से दिलवाया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत गणेशपुरा एवं लांबाखोह, पंचायत समिति बून्दी, बून्दी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 15.01.2025 पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति नैनवां, बून्दी में सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। यह स्थानान्तरण प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति झुंझुंनू की बैठक दिनांक 15.01.2025 में लिये गये निर्णय की पालना में जारी किया गया है। अतः आलोच्य आदेश में कोई नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना अभिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। अपीलार्थी को उसी जिले में पदस्थापन किया गया। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। इस प्रकार आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)